संख्या-09/2024/ /52-4-2024-2आ०(बजट)/2018-E-1353699

प्रेषक,

हरि बख्श सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग- 4 लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2024

विषय : उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-क-94/अ०सं०आ०/2024-14वि०/23, दिनांक 01-04-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण के संबंध में धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार सचिव, उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-105-04 के मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रथम किश्त के रूप में रू0 20.90 लाख (रू० बीस लाख नब्बे हजार मात्र) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 203.79 लाख (रू०दो करोड़ तीन लाख उन्यासी हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय महर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

(रूपये लाख में)

क्र0	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	41.80	20.90
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	203.79	203.79
	कुल	**245.59**	224.69

(1) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र में किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अतः व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(2)- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग नई मदों/ सेवाओं पर व्यय के लिए नहीं किया जायेगा।

(3)- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस आर्फ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जायेगा तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 में दिये गये निर्देशों/शतों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति सचिव, उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(8)- सचिव, उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(9)- उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कडाई ने सुनिश्चित किय जायेगा। उक्त से विचलन की स्थिति वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए सचिव, उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग, उ0प्र0 लखनऊ तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जांच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 में दी गयी व्यस्थानुनार जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1) / 52-4-2024-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०प्रयागराज।

5-नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु०-1 उ०प्र० शासन लखनऊ।

6-मुख्य कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7-वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।